राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प0 27(36)चिस्वा/2/2016 जयपुर दिनांक 04.07.2016

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर। रेस्पोडेंट

अन्तर्गत धारा 38 (1), RTPP Act 2012

प्रथम अपील संख्या –36/2016

निर्णय दिनांक 04.07.2016

अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुकृति कासलीवाल एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की तरफ से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–I (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–II (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर आदि उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त मे अपील तथ्य इस प्रकार है कि आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा निविदा सूचना संख्या 116 दिनांक 28.09.15 जारी कर विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों की निविदाए आमन्त्रित की गई। निविदाओ की तकनीकी बिड दिनांक 02.01.16 को खोली गई। उक्त निविदा अन्तर्गत आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai एवं अन्य तीन फर्मो ने भाग लिया। आरएमएससीएल ने तकनीकी बिड का मूल्यांकन पूर्ण करते हुये List of Responsive/Non-Responsive Bidders वित्तीय बिड खोले जाने बाबत आदेश कमांक 2015 दिनांक 26.04.16 जारी किया । जिसमें अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को Non Submission of Valid USFDA Certificate for Item के कारण Non-Responsive घोषित किया गया। आदेश कमांक 2015 दिनाक 26.04.16 अन्तर्गत वित्तीय बिड दिनांक 28.04.16 को खोला जाना निर्धारित किया गया । जिसको की निगम के आदेश कमांक 2088/29.04.16, 2137/03.05.16 , 2200/06.05.16, 2256/11.05.16, 2419/18.05.16 से स्थगित करते हुये आदेश कमांक 2936 दिनांक 27.06.16 से दिनाक 29.06.16 को खोला जाना निर्धारित किया गया। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने आदेश कमांक 2015 दिनांक 26.04.16 से उनको Non-Responsive घोषित किये जाने को अनुचित बताते हुये व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. अपील सुनवाई दिनांक 04.07.16 को की गई। अपीलान्ट फर्म ने अपील मे संलग्न दस्तावेजो की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. दोनो पक्षकारो की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी फर्म ने मुख्यतः अपील मे उल्लेखित तथ्यो को ही दोहराया एवं संलग्न सम्बन्धित दस्तावेज को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। प्रमुख रूप से तर्क रहा कि निविदा के उक्त आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये निगम ने निविदा में तकनीकी स्पेसिफिकेशनो मे Certificate - Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be